आदेशिका

दिनांक 14.10.2025

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। इस आदेश के द्वारा प्रतिवादी सं.7 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी दिनांक 17.09.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। जिसमें प्रतिवादी सं.7 ने प्रार्थनापत्र में यह तथ्य अंकित किये हैं कि वादी ने दावा खसरा नंबर 93, 94, 95, 96 ग्राम महानंदपुर हिस्सा 1/4 जो कि प्रतिवादी सं.2 से 9 के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि रही है, गलत तरीके से पेश किया है। उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं.2 से 9 का रहा, इसके बाबत प्रतिवादी सं.3 लगायत 9 ने प्रतिवादी सं.2 उमरावसिंह द्वारा प्रतिवादी सं.3 लगायत 9 के मुख्त्यार की हैसियत से उक्त भूमि का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं.10 संस्था को दिनांक 01.05.2008 को विक्रय करते हुए रजिस्ट्री बयनामा जरिये मुख्त्यार आम निष्पादित करवाया था। प्रतिवादी सं.2 से 9 की ओर से जरिये मुख्त्यार प्रतिवादी सं.2 प्रकरण में पेश किया गया है तथा प्रतिवादी सं.2 से 9 की ओर से श्री बी.के.सिंहल को अपना अधिवक्ता नियुक्त कर उक्त प्रकरण में लगातार पैरवी की जा रही है। प्रतिवादी सं.2 उमराव को प्रकरण में बयान देने के लिए जब अधिवक्ता के द्वारा कहा गया तो प्रतिवादी सं.2 ने स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने व वृद्धावस्था के कारण गंगापुर सिटी आने में असमर्थ होने के कारण प्रार्थी अरूण को दिनांक 17.09.2025 को भेजा परंतु चूंकि दिनांक 28.02.2017 को अरूण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश हो गया, जिस कारण अरूण के बयान तकनीकी आधार पर लेखबद्ध नहीं होने के कारण दिनांक 28.02.2017 को पारित एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः यह प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सं.7 के विरूद्ध पारित एकतरफा कार्यवाही दिनांक 28.02.2017 को अपास्त करते हुए प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही में प्रतिवादी सं.7 को भाग लेने की इजाजत देने की कृपा करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थनापत्र का जवाब वादी की ओर से इस आशय का पेश हुआ है कि प्रतिवादी सं.2 उमरावसिंह द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से प्रतिवादी सं.10 को दिनांक 01.05.2008 को विक्रय किया गया है। उक्त भूमि को प्रतिवादी सं.1 द्वारा दिनांक 18.08.2004 को वादी को विक्रय किया जा चुका है तथा कब्जा संभलाया जा चुका है। प्रतिवादी सं.2 से 9 कीओर से प्रतिवादी सं.2 का जवाबदावा श्री बी.के.सिंहल अधिवक्ता के द्वारा पेश किया गया है,जिस कारण दिनांक 28.02.2017 को जो एकतरफा कार्यवाही प्रतिवादी सं.2 से 9 के विरूद्ध अमल में लायी गई थी, चूंकि प्रतिवादी सं.2 के अधिवक्ता श्री बी.के.सिंहल रहे इसलिए उनको एकपक्षीय कार्यवाही की जानकारी रही। प्रार्थनापत्र में जो प्रतिवादी सं.2 का अत्यधिक बीमार होना दर्शित किया गया है परंतु उक्त संदर्भ मेंकिसी प्रकार की कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं हुई है। प्रतिवादी सं.7 का कोई जवाब स्वतंत्र रूप से अभिलेख पर पेश नहीं है। प्रतिवादी सं.3 से 8 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने हेतु वादी ने दिनांक 26.08.2016 को प्रार्थनापत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसका विस्तृत जवाब प्रतिवादी सं.2 से 8 की ओर से पेश किया गया है तथा उक्त प्रार्थनापत्र में बहस सुनने के उपरांत दिनांक 28.02.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। उक्त आदेश को पारित हुए भी आठ साल से अधिक समय हो चुका है, जिस देरी को कंडोन करने के संदर्भ में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र भी पेश नहीं हुआ है। पत्रावली में जब वादी की साक्ष्य पूर्ण हो चुकी है तो प्रतिवादी सं.7 एकतरफा कार्यवाही को अपास्त करवाकर प्रकरण में वादी से

अपर जिला न्यायाधीश सं.2
गंगापुर सिटी,जिला-सवाई माधोपुर (राज.)

जिरह करने की अनुमति चाहता है। हस्तगत प्रार्थनापत्र मात्र देरी करने के उद्देश्य से पेश किया गया है, जिसको खारिज किया जाना चाहिए।

अभिलेख पर प्रतिवादी सं.7 की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र के संदर्भ में प्रतिवादी सं.1/3 अरविन्द कुमार टांक ने प्रतिवादी सं.7 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 17.09.2025 का प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का जवाब पेश करने हेतु न्यायालय से निवेदन किया।उक्त प्रार्थनापत्र के अनुसरण में प्रतिवादी सं.1/3 की ओर से प्रतिवादी सं.7 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का जवाब दिनांक 26.09.2015 को पेश किया गया है, जिसमें यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट किये हैं कि प्रतिवादी सं.1/3 का मुख्य परीक्षण संपन्न करवाये जाने पर जब अधिवक्ता वादी ने जिरह करना प्रारम्भ किय तो प्रतिवादी सं.1 के पूर्व नियुक्त अधिवक्ता द्वारा नो इंस्ट्रक्शन प्लीड कर दिया गया। जिस पर प्रतिवादी सं.1/3 से जिरह प्रारम्भ होकर अपूर्ण रही। प्रतिवादी सं.1/3 को स्वयं का शपथपत्र व अपना पक्ष रखने हेतु विधिक व मौलिक अधिकार है। प्रतिवादी सं.1/3 के पिता स्व.रामगोपाल द्वारा प्र.13 के निष्पादन पर बतौर गवाह हस्ताक्षर हैं।इस प्रकार वह रामगोपाल के प्रतिनिधि एवं प्र.13 पर बतौर गवाह की हैसियत से अपना शपथपत्र पेश किया है। प्रतिवादी सं.1/3 के द्वारा वादी से किसी प्रकार का कोई साज नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी सं.1/3 की ओर से प्रतिवादी सं.7 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी को खारिज करने का निवेदन किया।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी सं.7 के द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र में उल्लेखित उक्त तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए यह तर्क पेश किया गया कि दिनांक 28.02.2017 को जो एकपक्षीय आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, उस एकपक्षीय कार्यवाही के संदर्भ में प्रतिवादी सं.3 से 9 को पूर्व में नोटिस दिया जाना आवश्यक रहा परन्तु न्यायालय ने चूंकि प्रतिवादी सं.3 से 9 को किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया जिस कारण प्रतिवादी सं.7 जब अधिवक्ता श्री बी.के.सिंहल के पास आये तब उन्हें दिनांक 17.09.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की जानकारी हुई। इस प्रकार जानकारी से तीन वर्ष के भीतर हस्तगत प्रार्थनापत्र पेश किये जाने की स्थिति में परिसीमा के अंदर प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जिसका विरोध अधिवक्ता वादी ने न्यायालय के समक्ष यह तर्क पेश किया कि वादी की ओर से जो दिनांक 26.08.2016 को प्रार्थना–पत्र पेश किया गया था, उसका विस्तृत रूप से प्रतिवादी सं.2 से 8 की ओर से जवाब पेश हुआ है, जिस स्थिति में प्रतिवादी सं.2 से 8 को दिनांक 28.02.2017 को जरिये नोटिस इत्तिला देने का जो उज्र प्रतिवादी सं.7 ने लिया है, वह किसी भी स्थिति में पोषणीय इस आधार पर नहीं है क्योंकि प्रतिवादी सं.2 लगायत 8 को दिनांक 28.02.2017 को पारित एकपक्षीय कार्यवाही की जानकारी शुरू से रही है। देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया,प्रार्थनापत्र खारिज होने योग्य है।

प्रतिवादी सं.1/3 ने प्रतिवादी सं.7 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के खंडनस्वरूप लिखित प्रार्थनापत्र की पुननरावृत्ति करते हुए दौराने बहस माननीय बोम्बे उच्च न्यायालय की न्यायिक नजीर सिविल रिट पिटीशन नंबर 443/2020 मीनल रोहित शाह व अन्य बनाम न्यू सागर दर्शन कोपरेटिव काउसिंग सोसायटी पेश की।

बहस सुन पत्रावली का अध्ययन, संबंधित विधि का परिशीलन किया। जिसके उपरांत न्यायालय के समक्ष यह दृष्टिगत है कि हस्तगत दावा तकमील मुहाय्यदा एवं रजिस्ट्री के निरस्तीकरण से संबंधित है। हस्तगत प्रार्थनापत्र के

अपर जिला न्यायाधीश सं.2
गंगापुर सिटी,जिला-सवाई माधोपुर (राज.)

द्वारा प्रतिवादी सं.7 अरूण कुमार टांक ने दिनांक 28.02.2017 को पारित एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को अपास्त करने के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष निवेदन किया है। न्यायालय के द्वारा पारित उक्त आदेश के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी सं.2 लगायत 8 ने पावर ऑफ एटॉर्नी के जरिये प्रतिवादी सं.2 को नियुक्त किया था। यहां यह उल्लेखित करना समीचीन होगा कि प्रतिवादी सं.2 की ओर से श्री बी.के.सिंहल अधिवक्ता को नियुक्त किया गया है, न्यायालय ने प्रतिवादी सं.3 से 9 के द्वारा प्रतिवादी सं.2 के हक में जारी पॉवर ऑफ एटार्नी की सीमा अवधि समाप्त होने के कारण एवं नई पावर ऑफ एटार्नी पेश नहीं किये जाने की स्थिति में प्रतिवादी सं.3 लगायत 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई थी। न्यायालय के उक्त आदेश के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि प्रतिवादी सं.3 से 9 को प्रतिवादी सं.2 को जरिये पावर ऑफ एटार्नी नियुक्त करने के संदर्भ में करीब छह माह से ज्यादा का अवसर प्राप्त हुआ था। वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 26.08.2016 का जवाब प्रार्थनापत्र प्रतिवादी सं.2 उमरावसिंह दिनांक 18.10.2016 को न्यायालय के समक्ष पेश हुआ, जिसमें प्रतिवादी सं.2 ने यह तथ्य प्रकट किये कि प्रतिवादी सं.2 से 8 की ओर से श्री बी.के.सिंहल अधिवक्ता को नियुक्त किया, जिनके द्वारा प्रतिवादी सं.2 से 8 के निर्देशानुसार पैरवी की जा रही है, उक्त उल्लेखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह माने जाने योग्य नहीं है कि प्रतिवादी सं.3 से 9 को दिनांक 28.02.2017 के आदेश की जानकारी नहीं रही। इस प्रकार अधिवक्ता प्रतिवादी सं.7 का यह तर्क कि दिनांक 28.02.2017 के आदेश को पारित करने से पूर्व प्रतिवादी सं.3 से 8 को नोटिस दिया जाना चाहिए था, निराधार हो जाता है। चूंकि न्यायालय ने प्रतिवादी सं.3 से 8 को सर्वप्रथम नया पावर ऑफ एटॉर्नी अथवा वकालतनामा पेश करने हेतु पर्याप्त समय दिया एवं वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 26.08.2016 का जवाब प्रार्थनापत्र भी प्रतिवादी सं.2 की ओर से पेश किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रक्रियात्मक विधि सबस्टेंडिंग (substantive) अधिकारों को सुगम सुचारू बनाने के लिए अस्तित्व में आई है, हेतुक से उत्पन्न विवाद का अंतिम व पूर्ण निस्तारण गुण–अवगुण पर होना विधि की मंशा है। प्रतिवादी सं.3 से 8 हेतुक से उत्पन्न विवाद के संदर्भ में स्वयं का वृत्तांत न्यायालय के समक्ष प्रकट यदि करेंगे तो निःसंदेह न्यायालय को उभयपक्षकारान के विधिक अधिकारों के छिद्रावेषण में सहायता मिलेगी, परंतु प्रतिवादी सं.7 के द्वारा हस्तगत प्रार्थनापत्र करीब आठ वर्ष की देरी से पेश किया गया है। प्रतिवादी सं.2 गंभीर रूप से बीमार होने व गंगापुर सिटी आने में असमर्थ रहने बाबत प्रार्थनापत्र में तथ्य उल्लेखित हुए हैं,परंतु उक्त तथ्यों के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई प्रलेख न्यायालय के समक्ष पेश नहीं होने की स्थिति में हस्तगत प्रार्थनापत्र सात हजार रूपये कोस्ट पर स्वीकार होने योग्य है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी सं.7 न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही में भाग लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा। उक्तानुसार प्रतिवादी सं.7 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थनापत्र दिनांक 17.09.2025 बाबत आपत्ति जिरह अनुमति द्वारा प्रतिवादी सं.2 व 10 दिनांक 15.10.2025 को पेश हो।

(रेशमा खान)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश स.2
गंगापुर सिटी,जिला-सवाई माधोपुर (राज.)